



प्रेषक,

अरविन्द सिंह,

उप सचिव

उOप्रO शासन।

सेवा में,

आयुक्त,

राज्य कर,

उOप्रO, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 29 जून, 2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद जालौन (उरई) में मण्डल स्तरीय राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु तृतीय किशत की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-सOनिO-जनपद जालौन (उरई) कार्याO भवन निर्माण/2026-27/169/राज्य कर, दिनांक 15.06.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद जालौन (उरई) में मण्डल स्तरीय राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान संख्या-89 के पूंजी लेखाशीर्षक 4059-01-051-32-सहायता केंद्रों एवं कार्यालय भवनों का निर्माण के मानक मद 24-वृहद निर्माण कार्य में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष तृतीय किशत के रूप में रु0 364.27 लाख की धनराशि निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-15/11-4-2025/1879581, दिनांक 25.03.2025 द्वारा जनपद जालौन (उरई) में मण्डल स्तरीय राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण हेतु पीOएफOएOडीO द्वारा आंकलित धनराशि रु0 714.27 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किशत के रूप में धनराशि रु0 250.00 लाख, शासनादेश संख्या-08/2026/1/1245426/2026/11-4002(003)/8/2024, दिनांक 19.02.2026 द्वारा द्वितीय किशत के रूप में धनराशि रु0 100.00 लाख, इस प्रकार कुल रु0 350.00 लाख की धनराशि निर्गत की जा चुकी है और परियोजना हेतु रु0 364.27 लाख की धनराशि निर्गत किया जाना शेष है।

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद जालौन (उरई) में मण्डल स्तरीय राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु पीOएफOएOडीO द्वारा आंकलित धनराशि रु0 714.27 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत पूंजीपक्ष के लेखाशीर्षक 4059-01-051-32-सहायता केन्द्रों एवं कार्यालय भवनों का निर्माण के मानक मद

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

24-वृहद निर्माण कार्य मद में प्रावधानित धनराशि में से प्रश्नगत परियोजना हेतु तृतीय किशत के रूप में ₹0 357.135 लाख (रूपये तीन करोड़ सत्तावन लाख तेरह हजार पांच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं-

नियम व शर्तों/प्रतिबंधों-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र० लखनऊ/अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, झाँसी जोन, झाँसी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त कार्य पूर्व में न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को अनावश्यक रूप से डाकघर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा।
5. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, झाँसी जोन, झाँसी/कार्यदायी संस्था की होगी।
6. परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या 15/11-4-2025/1879581, दिनांक 25.03.2025 तथा पी०एफ०ए०डी० की शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,57,13,500 (रुपये तीन करोड़ सत्तावन लाख तेरह हजार पाँच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 089 लेखा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

शीर्षक 4059010513200 सहायता केन्द्रों एवं कार्यालय भवनों का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अरविन्द सिंह

उप सचिव।

संख्या व दिनांक-यथोक्त।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, झाँसी जोन, झाँसी।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. एडीशनल कमिश्नर(लेखा), राज्य कर, उ०प्र०, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जालौन (उरई)।
8. निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्ता विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, जालौन (उरई)।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
11. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, राज्य कर विभाग, उ०प्र० शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरविन्द सिंह

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।